न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 31/2016 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1. श्री देबी पुत्र श्री काना जाट नि. पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री उदा पुत्र श्री रूपा जाट नि. पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ज्वारा पुत्र श्री सुखा जाट नि. पातलिसास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्री रामकुमावर पुत्र सुखा जाट नि. पातलिसास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्रीमती नानी पुत्री श्री बालु जाट नि. पातलिसास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. श्री हीरा पुत्र श्री बालू जाट नि. पातलिसास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. श्री रामेश्वर पुत्र श्री बालू जाट नि. पातलिसास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड शाखा भीलवाडा जरिये शाखा प्रबंधक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी**
अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व 7 अनुपस्थित
पेरोकार सरकार...................विपक्षी क्रम 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04/02/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 21/07/2016 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में खतोनी नम्बर 86 मे आराजी नम्बर 1263 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1264 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा अन्य आराजियात के साथ स्थित है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो आम रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1255/1 जो कि आराजी नम्बर 1255 के उत्तरी मेड के सहारे है से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 1267 के पश्चिमी मेड के सहारे होकर आराजी चाह नम्बर 1266 कुए पर होकर गाडी गडार बनी हुई है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी,संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण [illegible] प्रापत्र की चरण संख्या 02 एक में वर्णित आराजियात में आने जाने [illegible] है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंधिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हडप करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

गये। जबकि विपक्षीगण हो ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण हो दिनांक 05 जुलाई 2016 को रास्ते में अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु करने पर साफ तौर इंकार हो गये व रास्ते को बंद करने की धमकी दी। जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायात 05 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 लगायात 05 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा पैदा कर रहा है व रास्ते को बंद करने पर आमदा है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू.अभिलेख निरक्षक मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा भूमि पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 1255/1 जो कि आराजी नम्बर 1255 के उत्तरी मेड के सहारे है से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायात 05 की आराजी नम्बर 1267 के पश्चिमी मेड के सहारे होकर आराजी चाह नम्बर 1266 कुए पर होकर अपनी आराजियात पर आते जाते है, से 15 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 05/08/2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01,02,03,04,05,07 विधिवत सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई दिनांक 04.02.2021 पर अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01,02,03,04,05,07 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

तत्पश्चात् स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार मौका रिपोर्ट भिजवाई गई जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी पीपली द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा पातलियास स्थित आराजी नम्बर 1255/1 रकबा 00–01 बीघा मे से 00–001 आराजी नम्बर 1267 रकबा 01–00 बीघा में से 00–002 बीघा, आराजी नम्बर 1256/1 रकबा 00–02 बीघा में से 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 1265 रकबा 01–03 में से 00–01–10 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। इस संबधं में राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिध्रति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिए [illegible] उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

हमने वकील प्रार्थी की बह[illegible] की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत [illegible]. 1263, 1264 में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 1255/1,1267,1256/1, 1265 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थिगण के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम पातलियास तह हमीरगढ में स्थित खसरा संख्या 1263 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1264 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा में आने जाने के लिए 1255/1 रकबा 00–01 बीघा मे से 00–01 आराजी नम्बर 1267 रकबा 01–00 बीघा में से 00–02 बीघा, आराजी नम्बर 1256/1 रकबा 00–02 बीघा में से 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 1265 रकबा 01–03 में से 00–01–10 बीघा आवागमन हेतु प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु 15 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। खर्चा फरकीन अपना–अपना वहन करें। आदेश की की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 04–02–2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:17 IST
Reason: SelfAttested